फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– लक्ष्मणलाल पुत्र चन्द्राराम –::बनाम::– अप्रार्थी :– तहसीलदार

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रा.पत्र नम्बर :–138/2023

ख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
23	प्रार्थी उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प पिपलियाखुर्द में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा– पिपलियाखुर्द में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 182, 233 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम लक्ष्मण, लक्ष्मणराम पुत्र चन्द्राराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में लक्ष्मणलाल पुत्र चन्द्राराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम लक्ष्मण, लक्ष्मणराम पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर लक्ष्मणलाल पुत्र चन्द्राराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रशासन गांवो के संग अभियान पिपलियाखुर्द में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक जैतारण व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा– पिपलियाखुर्द में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 182, 233 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम लक्ष्मण, लक्ष्मणराम पुत्र चन्द्राराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में लक्ष्मणलाल पुत्र चन्द्राराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम लक्ष्मण, लक्ष्मणराम पुत्र चन्द्राराम के स्थान पर लक्ष्मणलाल पुत्र चन्द्राराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक जैतारण व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा– पिपलियाखुर्द में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 182, 233 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि लक्ष्मण, लक्ष्मणराम पुत्र चन्द्राराम को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक " लक्ष्मणलाल पुत्र चन्द्राराम "दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू–अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi

Date: 2023.12.11 12:24:02 IST

Reason: SelfAttested

(... बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन ...

... जैतारण (पाली)